एक्सप्लोजिव मेंगजीन – निरीक्षण प्रारूप

निरीक्षण दिनांकः–

01 मेगजीन मालिक एवं फर्म का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर

02 मेगजीन जहां स्थित है उस ग्राम का नाम एवं तहसील

03 लाईसेंस नम्बर (पुराने एवं नये)

04 अन्तिम रिनीवल दिनांक मय रिनीवल पत्र की छायाप्रति।

05 क्या लाईसेंस अगली अवधि के रिनीवल बाबत् प्रार्थना विस्फोटक विभाग को मय निर्धारित फीस के भिजवा रखा हैं, यदि हां तो किस अवधि के लिए व किस दिनांक को भिजवाया गया प्रा0पत्र की छाया प्रति सलग्न की जावे।

06 मेगजीन चालु हैं या बंद, यदि बंद हैं तो कब से और क्यो ?

07 भवन की स्थिति कैसी है। फेसिंग है या नहीं ।स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप है या नहीं।

08 भवन से भू–तक बिजली कन्डक्टर टर्मिनल के भू–रोधक के विभिन्न भागों के कनेक्शनों का प्रत्येक वर्ष में एक बार अर्हता प्राप्त इलैक्ट्रिल इन्जिनियर द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो राज्य सरकार से इस निमित्त सक्षमता का प्रमाण–पत्र धारण करता है के द्वारा परीक्षण कर परिणामों को दर्शित करने वाला प्रमाण–पत्र भवन पर दर्शित है या नहीं।

09 मेगजीन मे बिजली की लाईन तो नही है ?

10 तड़ित चालक है या नहीं ।

11 अग्नि शमन यंत्र निर्धारित संख्या में लगे हुए है या नही, यदि हां तो कितने तथा अंतिम रिफीलिंग की दिनांक।

12 लाईसेंस में विस्फोटकों की निर्धारित मात्रा श्रेणी वार कितनी हैं तथा उसके मुकाबले में वर्तमान स्टॉक कितना है ? स्टॉक रेकार्ड अनुसार है जिसे पृथक–पृथक नियमानुसार रखा गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है

क्र0सं0	स्वीकृत वर्ग	मात्रा	निरीक्षण में उपलब्ध मात्रा	विशेष विवरण
1	नाईट्रेट मिक्सर			
2	सेफ्टी फ्यूज			
3	डिटोनेटिंग फ्यूज			
4	ऑर्डिनेरी / इलेक्ट्रिक डिटोनेटर			
5	अन्य			

13 एं) सुरक्षा गार्ड है या नही, यदि हैं तो कितने सुरक्षा गार्ड है तथा वह कब से कार्यरत हैं। राउण्ड दी क्लॉक (शिफ्ट वाईज) विवरण अंकित करे।

बी) विस्फोटकों का संग्रहण अनुज्ञप्त परिसरों में ही किया गया या नहीं तथा विस्फोटक संग्रहण स्थल की चाबिया रखने हेतु अधिकृत व्यक्ति के फोटो सहित नाम, पते आदि की सूचना अनुज्ञापत्र प्राधिकारी एवं अधिकारिता वाले नियन्त्रक को दी गई है अथवा नहीं।

14 मैगजीन से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर गार्डो के आवास व्यवस्था है या नहीं।

15 मेगजीन पर यदि कन्टेनर एक्सप्लोजिव मेगजीन वाहन हैं तो उसके संबंध में निम्न सूचना अंकित करें:–

1. विस्फोटक विभाग से स्वीकृत लाईसेंस नं0
2. रजिस्ट्रेशन नं0
3. चेचीस नं0
4. नवीनीकरण अवधि

16 क्रय विक्रय का रिकार्ड़ नियमानुसार संधारित किया जा रहा हैं या नही ।

17 विस्फोटक सामग्री जिसे विकय की गई का नाम व पूर्ण पता अंकित हैं या नही, साथ ही प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या व्यवसाय करता हैं तथा उसे किस कारण से विस्फोटक की आवश्यकता हैं, साथ ही केता क्या क्रय शुदा मात्रा का विस्फोट रखने को अधिकृत हैं ?

18 त्रैमासिक रिर्टन न. आर.ई.–7 में विस्फोटक विभाग एवं जिला कार्यालय, भीलवाड़ा को दी जारही है या नही ?

19 विस्फोटक अलग अलग श्रेणी अनुसार रखा है या नही।

20 मेगजीन पर रखी गई विस्फोटक सामग्री समयावधि पार की तो नही हैं।

21 विस्फोटक भण्डार गृह में प्रतिबन्धित सामग्री तो संग्रहित नहीं है यथा धातु के औजार आदि ।

22 मेगजीन धारक के विरूद्ध कोई मुकदमा तो दर्ज नही हैं, यदि हैं तो किस स्टेज पर।

23 राज्य के वाहर यदि कय/विकय हुआ है वह नियमानुसार हुआ है या नही ?

24 कानून व्यवस्था, बढ़ती हुई विस्फोटक सामग्री की तस्करी एवं बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को मध्य नजर रखते हुए लाईसेंस अगली अवधि के लिए रिनीवल किया जाना उचित है अथवा नही। कारण सहित स्पष्ट टिप्पणी अंकित करावे।

25 मेगजीन मालिक द्वारा मेगजीन का संचालन एक्सप्लोजीव नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा हैं या नही तथा विस्फोट होने की स्थिति में सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हैं या नही, साथ ही जन, धन की हानि की संभावना को मध्यनजर रखते हुए उक्त मेगजीन का लाईसेंस यथावत रखा जाना उचित हैं या नही, टिप्पणी अंकित करावें।

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं पद नाम

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, ए ब्लॉक, पांचवा तल, केन्द्रिय कार्यालय परिसर, सेमीनारी हिल्स, नागपुर – 440 006।
2. उप मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, आम्रपाली सर्कल, पावर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर।
3. जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता
मय पद एवं मोहर